पत्र सं०–6 एस०एस०(6)09 / 2020– 3319 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 28 / 8 /2023.

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :– **XX**
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत कुल ₹ 5476.029 लाख (रूपये चौवन करोड़ छिहत्तर लाख दो हजार नौ सौ) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर समग्र गव्य विकास योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02, 04, 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय राज्यादेश संख्या–2739, दिनांक–11.08.2022 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत कुल ₹ 5476.029 लाख (रूपये चौवन करोड़ छिहत्तर लाख दो हजार नौ सौ) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर समग्र गव्य विकास योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02, 04, 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–1, 2, 3 तथा 4 एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–क, ख एवं ग के रूप में संलग्न।

(2) इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार का अतिरिक्त अवसर सृजित कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 02 एवं 04 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गो के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है तथा 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गो के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

(3) प्रस्तावित योजना एक महत्त्वाकांक्षी चालू योजना है।

(4) समग्र गव्य विकास योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित मूल लाभ होंगे :–

- राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
- स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होगे।
- राज्य में प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन से दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी।
- राज्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा।

- पशुओं के चारा के रूप में फसल अवशेष पराली का उपयोग किया जा सकेगा।
- राज्य के सभी व्यक्तियों को दुग्ध के रूप में न्यूनतम पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(5) प्रस्तावित योजना के तहत स्वीकृत की जाने वाली राशि तीन प्रकल्पों पर व्यय किया जायेगा :–

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 4253.298 लाख (रूपये बियालीस करोड़ तिरपन लाख उनतीस हजार आठ सौ) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में "समग्र गव्य विकास योजना" के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02 एवं 04 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी के रूप में अनुदान व्यय किये जायेंगे।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 1220.068 लाख (रूपये बारह करोड़ बीस लाख छः हजार आठ सौ) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में "समग्र गव्य विकास योजना" के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी के रूप में अनुदान व्यय किये जायेंगे।

(iii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के तहत जिला गव्य विकास कार्यालय, किशनगंज द्वारा डेयरी इकाई के लिए लाभुक श्रीमति सुनिता देवी के अनुदान की राशि ₹ 2.663 लाख (रूपये दो लाख छियासठ हजार तीन सौ) मात्र की प्रतिपूर्त्ति पर व्यय किये जायेंगे। प्रस्तुत मामले में श्रीमति सुनिता देवी, पति–तारेश चन्द्र मंडल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC संख्या–20/22 दिनांक 02.09.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में समाहर्ता किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–274 दिनाक 10.02.2023 द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें परिवादी को राशि का भुगतान करने का आदेशित किया गया।

(6) प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/ सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की स्थापना हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑन–लाईन भरे जायेंगे।

(7) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत 02 एवं 04 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष किया जायेगा, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(i) संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(ii) उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

(8) स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

(9) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत 15 एवं 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर की जायेगी। स्क्रीनिंग समिति से अनुशंसित आवेदनों को जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन गव्य विकास निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक (गव्य) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा।

(10) योजना के तहत स्वीकृत की जाने वाली सब्सिडी की राशि संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवंटित किया जायेगा। वैसे जिला जहाँ जिला गव्य विकास पदाधिकारी को क्रियान्वयन पदाधिकारी घोषित किया गया है, उन जिलों के लिए भी सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि का आवंटन सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो लक्ष्य के अनुरूप राशि की निकासी करेंगे।

(11) प्रस्तावित योजना के तहत चयनित लाभुकों द्वारा उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर का क्रय, अधिकृत पशु आपूर्त्तिकर्त्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय कर सकते हैं।

(12) दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। स्वलागत की स्थिति में बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि को छोड़कर क्रय समिति में जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला के पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

(13) योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभुकों को स्वयं करना होगा। लाभुकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

(14) स्वलागत के लाभुकों द्वारा योजना स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तथा बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् लाभुकों को मवेशी क्रय / Asset creation के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

(15) प्रस्तावित योजना के तहत लाभुकों के चयन में विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों, दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

(16) इस योजना के लाभुकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(17) प्रस्तावित योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभुक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करे। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभुकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी के

कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के पश्चात लाभुक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

(18) स्वलागत में उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार करने के लिए लाभुक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभुकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तवार।

(19) प्रस्तावित योजना के तहत 04 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 15 डिसमिल, 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 30 डिसमिल अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सके।

(20) प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्न मुख्य शीर्ष के तहत किया जायेगा :–

(i) मुख्यशीर्ष 2404–डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 102–डेयरी विकास परियोजना, माँग संख्या–02, उपशीर्ष 0115–गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड– 02–2404001020115 के तहत विषय शीर्ष–0115.33.01 सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

(ii) मुख्यशीर्ष 2404–डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष 789–अनु0 जाति के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–02, उपशीर्ष 0101– ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाऐं, विपत्र कोड– 02–2404007890101 के तहत विषय शीर्ष–0101.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा

(iii) मुख्यशीर्ष 2404–डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष 796–जनजाति क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–02, उपशीर्ष 0101–प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्र कोड–02–2404007960101 के तहत विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(21) प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा–निर्देश विभाग द्वारा समय–समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।

(22) स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में सब्सिडी के रूप में अनुदान पर कुल ₹ 5476.029 लाख (रूपये चौवन करोड़ छिहत्तर लाख दो हजार नौ सौ) मात्र का व्यय अनुमानित है। इसके लिए बजट में राशि का उपबंध उपलब्ध है।

(23) इस स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य, बिहार, पटना एवं सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। आवंटित राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राज्य के सभी कोषागार से किया जायेगा।

(24) यह स्कीम एक महत्त्वाकांक्षी चालू राज्य स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–3758, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के तहत राशि व्यय करने की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)09/2020 के पृष्ठ–104/टि० एवं दिनांक–16.08.2023.

(25) निदेशक, गव्य इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जबावदेह होंगे। योजना में निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति समय–सीमा के अन्दर कराना सुनिश्चित करायेंगे।

व्यय विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ''समग्र गव्य विकास योजना (02 एवं 04 दुधारू मवेशी) के कार्यान्वयन पर अनुदान के रूप में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी''

(रु0 लाख में)

क्र0	घटक	प्रति इकाई परियोजना लागत व्यय	भौतिक लक्ष्य	राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान का स्वरूप	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि	लाभान्वितों का अंश दान	बैंक द्वारा ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उन्नत नस्ल के 02 (दो) दुधारू मवेशी (गाय/भैंस) /बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना	₹1,64,000/-	899 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50%	₹ 737.18	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 40%
			225 इकाई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	₹ 276.75	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 20%
			1001 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	₹ 1231.23	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 20%
			407 इकाई	अनुसूचित जन जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	₹ 500.61	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 20%
2.	उन्नत नस्ल के 04 (चार) दुधारू मवेशी (गाय/भैंस) /बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना	₹3,70,400/-	250 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50%	₹ 463.00	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 40%
			76 इकाई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	₹ 211.128	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 20%
			300 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	₹ 833.40	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 20%
नोट :– विभिन्न घटकों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य में माँग के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकेगा।							
कुल योग			3158 इकाई		₹ 4253.298		

(रुपये बयालीस करोड़ तिरपन लाख उनतीस हजार आठ सौ) मात्र

25.8.23

सरकार के विशेष सचिव।

3319
28/8/23

व्यय विवरणी–2

वित्तीय वर्ष 2023–24 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत वृहत डेयरी (15 एवं 20 दुधारू मवेशी) के कार्यान्वयन पर अनुदान के रूप में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी''

(रु0 लाख में)

क्र0	घटक	प्रति इकाई परियोजना लागत व्यय	भौतिक लक्ष्य	राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान का स्वरूप	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि	लाभान्वितों का अंश दान	बैंक द्वारा ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उन्नत नस्ल के 15 (पन्द्रह) दुधारू मवेशी (गाय/भैंस) /बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना	₹ 14,59,000/-	76 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40%	₹ 443.536	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 50%
			66 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 40%	₹ 385.176	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 50%
			17 इकाई	अनुसूचित जन जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत 40%	₹ 99.212	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 50%
2.	उन्नत नस्ल के 20 (बीस) दुधारू मवेशी (गाय/भैंस) /बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना	₹ 19,22,000/-	38 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40%	₹ 292.144	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 50%
नोट :– विभिन्न घटकों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य में माँग के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकेगा।							
कुल योग			197 इकाई		₹1220.068		

(रुपये बारह करोड़ बीस लाख छः हजार आठ सौ) मात्र

3319
28/8/23

25.8.23
सरकार के विशेष सचिव।